

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड



Bihar State Power Transmission Company Limited

(निवंधित कार्यालयः—विद्युत भवन, बेली रोड, पटना)

(Regd. Office: Vidyut Bhawan, Bailey Road, Patna)

TIN VAT NO-10011255025 CIN-U74110BR2012SGC018889

Website: www.bsptcl.bih.in

DEPARTMENT OF HR & ADMINISTRATION

संकल्प सं० - १८७ /

पटना, दिनांक 20/01/22/

T-III/Accounts/DP-26004/2019

श्री राजीव रंजन सिंह, तदेन वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड सम्प्रति वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा), बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड के विरुद्ध कर्तव्य की अवहेलना एवं घोर कदाचार के प्रथम द्रष्टव्य प्रमाणित आरोपों के लिए प्रपत्र 'क' में आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया।

तदनुसार कम्पनी के संकल्प संख्या—1988 दिनांक—26.06.2019 द्वारा श्री राजीव रंजन सिंह, तदेन वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड के विरुद्ध प्रपत्र 'क' में निम्न आरोप गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

1. आपके द्वारा रूपया 195.9595 करोड़ की राशि को जानबूझ कर अपने सुविधानुसार ऋण के रूप में गलत प्रकार से प्रस्तुत किया गया तथा कम्पनी प्रबंधन को अपूर्ण एवं भ्रामक जानकारी दे कर वित्तीय अनियमितता की गई है। आपने कम्पनी की हितों की परवाह नहीं करते हुए अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ना केवल कम्पनी के लेखा को अनावश्यक रूप से प्रभावित किया अपितु महालेखाकार एवं आयकर विभाग जैसे वैधानिक संस्थाओं के समक्ष गलत एवं भ्रामक तथ्य प्रस्तुत कर कम्पनी की छवि धूमिल करने के साथ—साथ कम्पनी को दोषी आयकर दाता की श्रेणी खड़ा कर दिया।
2. आपने बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड और बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के मध्य होने वाले लेन—देन को अनावश्यक रूप से भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने के उद्देश्य इसे बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड और ऊर्जा एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार के मध्य का बनाकर प्रस्तुत किया। आपने इस संबंध में प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड से प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार को संबोधित एक पत्र पर दिनांक—17.08.2016 को अनुमोदन प्राप्त किया। आपके इस भ्रामक प्रस्ताव पर कम्पनी प्रबंधन से अनुमोदन प्राप्त करने का आपका एक मात्र उद्देश्य विभिन्न अंकेक्षण आपत्तियों से अपने बचाव के लिए अभिलेख तैयार करना था क्योंकि आपने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड से प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार को संबोधित पत्र प्रारूप पर अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत इस पत्र को निर्गत नहीं होने दिया।

उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री पारसनाथ सिंह, सेवानिवृत संयुक्त सचिव, बिहार सरकार को जाँच पदाधिकारी नामित किया गया।

जाँच पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही में जाँच प्रक्रिया पूर्ण कर अपने पत्रांक—110/E0/SB दिनांक—09.12.2019 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन इस कार्यालय को समर्पित किया गया। उक्त जाँच प्रतिवेदन में जाँच पदाधिकारी द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध लगाये गये दोनों आरोपों को पूर्णतः प्रमाणित पाया गया।

जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन का निष्कर्ष निम्नवत है:-

.....इससे यह स्पष्ट होता है कि श्री सिंह के द्वारा ₹0 195.9595 करोड़ की राशि को कम्पनी की पुरतकों में गलत मंशा से अधिसूचना संख्या-2175 दिनांक-30.06.2014 की अवहेलना करते हुए ऋण के रूप में लेखांकित किया और उसपर अनावश्यक रूप से ब्याज भी भारित किया, वही दूसरी ओर, कर निर्धारण के क्रम में इस राशि को अधिसूचना संख्या-2175 दिनांक-30.06.2014 के आलोक में कम्पनी के अंशपूँजी के रूप में सम्पुष्ट भी किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि कम्पनी के हितों की परवाह नहीं करते हुए अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ना केवल कम्पनी के लेखा को अनावश्यक रूप से प्रभावित किया अपितु महालेखाकार एवं आयकर विभाग जैसे वैधानिक संस्थाओं के समक्ष गलत एवं भ्रामक तथ्य प्रस्तुत किया गया।

अपनी गवाही के क्रम में अभियोजन पक्ष के गवाह श्री प्रदीप कुमार, महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), श्री अफताब आलम, उपमहाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) एवं श्री विशाल कुमार, लेखा पदाधिकारी द्वारा सम्पुष्ट किया गया है कि राज्यादेश संख्या-2175 दिनांक-30.06.2014 में संदेह की कोई संभावना नहीं है अपितु यह स्पष्ट राज्यादेश है, जिसके अनुसार पुनर्गठन के उपरान्त दिनांक-01.11.2012 के बाद योजना मद में प्राप्त राशि को अंशपूँजी के रूप लेखांकित किया जाना था। साथ ही गवाहों के द्वारा यह भी सम्पुष्ट किया गया है कि राज्य सरकार से दिनांक-30.06.2014 का आदेश प्राप्त होने के उपरान्त होल्डिंग कम्पनी एवं अन्य तीन अनुषंगी कम्पनियों अर्थात् BSPTCL को छोड़कर अन्य चार कम्पनियों के द्वारा दिनांक-01.11.2012 के बाद योजना मद में प्राप्त ऋण की राशि को अंशपूँजी के रूप में लेखांकित कर लिया गया था।

ADB का लोन जो राज्य सरकार से प्राप्त होता है वह गैर योजना मद का है। राज्यादेश संख्या-2175 दिनांक-30.06.2014 का संबंध योजना मद की राशि से है। इसलिये गैर योजना मद से प्राप्त राशि का लेखांकन उसी स्वरूप में किया जाता है, जिस स्वरूप में वह कम्पनी को प्राप्त होता है। उल्लेखनीय है कि 2175 के निर्गमन के उपरांत योजना मद में सरकार द्वारा जो भी राशि विमुक्त की गई है वह मुख्य शीर्ष 4801 अर्थात् अंशपूँजी के रूप में की गई है। कम्पनी के पुनर्गठन के उपरांत एवं 2175 के निर्गमन के मध्य एवं उसके बाद की अवधि के राज्य योजना मद से प्रदत्त राशि को 2175 के द्वारा अंशपूँजी के रूप में सैद्वातिक स्वीकृति प्रदान की गई है।.....

.....” इस प्रकार आरोपी के विरुद्ध आरोप संख्या-01 स्पष्ट रूप से पूर्णतः प्रमाणित होता है।

.....आरोपी का कथन कि प्रासंगिक प्रारूप श्री संदीप कुमार आरो पुडकलकट्टी, प्रबंध निदेशक द्वारा दिनांक-03.08.2017 को अनुमोदित है, यह सत्य नहीं है। क्योंकि वर्ष 2016 में ही प्रबंध निदेशक द्वारा पत्र प्रारूप को अनुमोदित किया गया है जिसका पत्र निर्गत नहीं हुआ है। पुनः लगभग एक (01) वर्ष के बाद दिनांक-03.08.2017 को समरूप एक नया पत्र प्रारूप प्रबंध निदेशक के अनुमोदनार्थ उपस्थापित किया गया है। इस पत्र को भी अनुमोदन के लगभग 56 दिनों के बाद निर्गत किया गया है।.....” अतः यह आरोप भी श्री सिंह के विरुद्ध प्रमाणित होता है।

तदुपरांत जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों की विस्तृत समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत जाँच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री सिंह के विरुद्ध उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए द्वितीय कारण पृच्छा करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया।

तदालोक में जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए इस कार्यालय के संकल्प संख्या-4719 दिनांक-24.12.2019 द्वारा श्री सिंह से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री सिंह द्वारा दिनांक-21.01.2020 को उक्त द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित किया गया।

आरोपी श्री सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री सिंह द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर में पूर्व में उल्लेखित तथ्यों का ही दुहराव किया, अर्थात् कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है।

अभिलेखों से स्पष्ट है कि श्री सिंह द्वारा ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार के पत्र संख्या—2175 दिनांक—30.06.2014 द्वारा निर्गत राज्यादेश में निहित निदेश के विपरित कम्पनी को प्राप्त राशि 195.9595 करोड़ को ऋण के रूप में लेखांकित करना जारी रखा गया तथा विना किसी प्राधिकार के उक्त तथाकथित ऋण पर अनावश्यक रूप से 10.5% की दर से ब्याज भी भारित किया गया। जबकि कर निर्धारण के क्रम में महालेखाकार एवं आयकर विभाग जैसे वैधानिक संरथाओं के समक्ष उक्त राशि को कम्पनी की अंशपूजी के रूप में सम्पुष्ट किया। दृष्टांतों से यह स्पष्ट है कि श्री सिंह कम्पनी हित के विरुद्ध कार्य करने और गलत बयानी करने के दोषी है।

श्री सिंह का यह कहना है कि प्रासंगिक विभागीय कार्यवाही मेरे द्वारा ऊर्जा विभाग के राज्यादेश संख्या—2175 दिनांक—30.06.2014 की कंडिका 2 एवं 3 के संबंध में दिये गये मंतव्य पर सीमित है जो कदाचार नहीं है और न कम्पनी के वरीय पदाधिकारी को मेरे मंतव्य से सहमति व्यक्त करने की बाध्यता थी; से सहमत नहीं हुआ जा सकता।

श्री सिंह वरीय पदाधिकारी है, अतः उनसे यह अपेक्षित है कि किसी विषय पर मंतव्य/प्रस्ताव देते समय वे विषय—वस्तु संबंधित कानूनी प्रावधानों की भलीभांति जाँच—परख लें और पुर्णरूप से संतुष्ट होने के बाद ही अपना मंतव्य/प्रस्ताव दें। परन्तु प्रश्नगत मामले में श्री सिंह द्वारा ऊर्जा विभाग के पत्रांक—2175, दिनांक—30.06.2014 में निहित निदेश के प्रतिकूल प्रस्ताव दिया गया। किसी भी नियम विरुद्ध मंतव्य/प्रस्ताव के लिए संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी पर कार्रवाई का प्रावधान है। अभियोजन पक्ष के नामित गवाहो के द्वारा अपने बयान में स्पष्ट किया है कि ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक—2175 दिनांक—30.06.2014 में संदेह कि कोई सम्भावना नहीं है। ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक—2175, दिनांक—30.06.2014 पूर्णतः स्पष्ट है, इसके सत्यापन हेतु ऊर्जा विभाग या बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी के किसी पदाधिकारी को गवाह बनाना कर्तव्य आवश्यक नहीं है।

श्री सिंह का यह कहना है कि दिनांक—16.08.2016 को उपस्थापित प्रस्ताव तदेन प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था, उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर गलत साबित होता है। उक्त प्रस्ताव वर्ष 2016 में ही अनुमोदित हो गया था, परन्तु श्री सिंह द्वारा साजिशन उक्त पत्र तत्समय निर्गत नहीं होनें दिया गया। ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार को भेजा गया पत्र संख्या—3282 दिनांक—28.09.2017 श्री सिंह द्वारा उपस्थापित प्रस्ताव/प्रारूप के अनुरूप ही था।

दरअसल आरोपी द्वारा रु0—195.9595 करोड़ की राशि का ऋण के रूप में लेखांकित करना एवं बाद में कर निर्धारण के क्रम में उक्त राशि को कम्पनी के अंशपूजी के रूप में सम्पुष्ट किया जाना इस बात का घोतक है कि आरोपी द्वारा पूर्व में ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक—2175 दिनांक—30.06.2014 में अंकित निदेश की जानबूझ कर गलत व्याख्या की गयी। बाद में गलती छिपाने हेतु उक्त राशि को निवेश के रूप में दिखलाने हेतु ऊर्जा विभाग को पत्र भेजने का प्रारूप तदेन प्रबंध निदेशक महोदय से अनुमोदन कराया गया। इस प्रकार श्री सिंह द्वारा जानबूझकर बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड एवं बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी के मध्य होने वाले लेन—देन को बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड एवं ऊर्जा विभाग के मध्य बनाकर प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर में ऐसा कोई तथ्य/साक्ष्य नहीं है, जो जाँच पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित आरोपों को गलत साबित कर सके। स्पष्ट है कि श्री सिंह के द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, अपने सुविधा अनुसार रु0—195.9595 करोड़ का ना केवल गलत लेखांकन किया गया अपितु कम्पनी प्रबंधन को विरोधाभासी एवं अपूर्ण तथ्यों के आधार पर प्रबंधन को गुमराह करने का कदाचार भी किया गया है। श्री सिंह के उक्त कृत्य के कारण विभिन्न वैधानिक ऐजेंसियों यथा आयकर विभाग एवं

महालेखाकार के समझ भी पक्ष रखने में वित्तीय जटिलताएँ उत्पन्न हुई हैं, साथ ही कम्पनी को आगे चलकर आयकर विभाग को अतिरिक्त कर दायित्व का भी भुगतान करना पड़ा। श्री सिंह के उक्त कृत्य का परिणाम हुआ कि आयकर/महालेखाकार जैसी वैधानिक संस्थाओं के समक्ष कम्पनी को defaulter के रूप प्रस्तुत किया गया, जिससे कम्पनी की साख को क्षति पहुँची।

निष्कर्षतः श्री सिंह का उक्त कृत्य वित्तीय कदाचार का घोतक है एवं वित्तीय दृष्टिकोण से तथा संवेदनशील मामलों में इनकी सेवा कम्पनी के वित्तीय हित के लिए हानिकारक है। उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री सिंह के द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर को अस्वीकृत किया गया एवं उपर्युक्त प्रमाणित गंभीर आरोपों एवं कंपनी को हुई वित्तीय क्षति के कारण श्री राजीव रंजन सिंह, वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा) को सेवा से अनिवार्य सेवानिवृति का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

अतः श्री राजीव रंजन सिंह, तदेन वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड संप्रति वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा), बिहार स्टेट पावर जेनेरेशन कम्पनी लिमिटेड को बिहार सरकारी सेवक (वगीकरण, नियंत्रण, अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित) के नियम 14 के संगत प्रावधानों के तहत तत्क्षण प्रभाव से कंपनी की सेवा से अनिवार्य सेवानिवृति का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति श्री राजीव रंजन सिंह, तदेन वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड संप्रति वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा), बिहार स्टेट पावर जेनेरेशन कम्पनी लिमिटेड को हस्तगत करा दी जाय।

आदेश से,

ह0/-

(राधा मोहन प्रसाद)

महाप्रबंधक (मा० सं० / प्रशा०)

ज्ञापांकः—

पटना दिनांकः—

प्रतिलिपिः— श्री राजीव रंजन सिंह, तदेन वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड संप्रति वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा), बिहार स्टेट पावर जेनेरेशन कम्पनी लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(राधा मोहन प्रसाद)

महाप्रबंधक (मा० सं० / प्रशा०)

ज्ञापांकः—

पटना दिनांकः—

प्रतिलिपिः— अध्यक्ष—सह—प्रबंध निदेशक के प्रधान आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/निदेशक (मा० सं०) के आप्त सचिव, बिहार स्टेट पावर (हॉलिडिंग) कंपनी लिमिटेड, पटना/प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना/प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर जेनेरेशन कंपनी लिमिटेड, पटना/प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना/प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

(राधा मोहन प्रसाद)

महाप्रबंधक (मा० सं० / प्रशा०)

ज्ञापांकः—

188

पटना दिनांकः—

20/01/22

प्रतिलिपिः— सभी निदेशक (परियोजना)/सभी निदेशक (परिचालन)/सभी महाप्रबंधक (मा० सं० / प्रशा०) /सभी महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/सभी महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता/सभी उप महाप्रबंधक (मा० सं० / प्रशा०) /विधि परामर्शी/सभी उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/सभी उप महाप्रबंधक (कार्मिक)/सभी विधुत अधीक्षण अभियंता/सभी उप सचिव/सभी वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/सभी अवर सचिव/सभी उप विधि परामर्शी/डी०बी०ए०/कंपनी सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सभी लेखा पदाधिकारी (रथापना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड से अनुरोध है कि इस आदेश की हस्ताक्षरित प्रति कंपनी बेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

(राधा मोहन प्रसाद)

महाप्रबंधक (मा० सं० / प्रशा०)

५३

20/01/22